

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 09 मई, 2024/19 वैशाख, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अप्रैल, 2024

संख्याः एस0टी0 ई0 बी (3) 1/2022.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पर्यावरण अधिकारी, ग्रुप-ए के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पर्यावरण अधिकारी, ग्रुप—ए भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

मुख्य सचिव।

उपाबन्ध-क

हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पर्यावरण अधिकारी, ग्रुप–ए के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम :	पर्यावरण अधिकारी
2.	पदों की संख्याः	15(पन्द्रह)
3.	वर्गीकरण :	ग्रुप-ए
4.	वेतनमानः	नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान
		(1) "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान के साथ संलग्न पे—मैट्रिक्स का लेवल—16".
		(2) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां: "हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे— मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत"।
5.	पद ''चयन" है या ''अचयन" :	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयुः	18 से 45 वर्ष के मध्यः
	- 	

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी : परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि, पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे / किए गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गये हैं / किये गये थे ।

टिप्पणी:—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया हैं या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:

- (क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः
 - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय / हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से पर्यावरणीय विज्ञान/रसायन में विज्ञान / वनस्पति विज्ञान स्नातकोतर (एम.एस.सी.) या में पर्यावरण / सिविल इंजिनियरिंग रनातकोतर (प्रौद्योगिकी) (एम टैक)।
 - (ii) किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थाओं/ संगठनों या राज्य / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पर्यावरण सबंधी परियोजना / कार्यक्रम निर्माण और कार्यान्वयन या पर्यावरण परियोजनाओं की व्यवहार्यता प्रबंधन रिपोर्टें तैयार करने, विश्लेषण मॉनिटरी तथा पर्यावरणीय जलवाय परिवर्तन सैक्टर में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं / कार्यक्रम या अनुसंधान ओर विकास के सर्वेक्षण अध्ययन संचालित करने या प्राकृतिक संसाधनों, जैव-संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण पर कार्य करने का कम से कम पांच वर्ष का रनातकोतर / रनातकोतर (प्रौद्योगिकी) (एम.एस.सी. / एम.टैक. के पश्चात) कार्य अनुभव ।

1152	राजपत्र, हिमाचल प्रदश, ०९ मई,	2024/ 19 4(11G, 1940
		(ख) वांछनीय अर्हता :
		हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश मे विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8.	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतांए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं:	आयुः लागू नहीं शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	1.सीधी भर्तीः (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें। (ख) संविदा आधार पर नियुक्तियों में कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताः	नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेंडमैंट आधार पर।
11.	प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसें प्रोन्नति / सैकण्डमैंट / स्थानान्तरण किया जायेगाः	हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों / बोर्डों व निगमों में इस पद के स्तम्भ संख्या 7(क) के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट के आधार पर।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः	(क) विभागीय प्रोन्नित समिति लागू नहीं (ख) विभागीय स्थायीकरण समिति जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाये।
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगाः	जैसा कि विधि द्वारा आपेक्षित हो
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) / लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जायेगा, जिस का स्तर / पाठ्यक्रम, आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा।

15—क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी:—

- (I) संकल्पनाः
 - (क) इस पॉलिसी के अधीन पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिर्वतन विभाग हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आनाः—

प्रशासनिक सचिव (पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

- (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- (II) संविदात्मक उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त पर्यावरण अधिकारी को ₹29,200 / — की समेकित संविदात्मक रकम प्रतिमाह (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे—मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगा) संदत्त किया जाएगा।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः

प्रशासनिक सचिव (पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिर्वतन) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) / लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण / प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तैः

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त पर्यावरण अधिकारी को ₹29,200 / —की समेकित संविदात्मक रकम प्रति माह (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे—मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगा) संदत्त किया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश के प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील

- प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर (ग) वर्ष में, एक मांस की सेवा पूरी करने के एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसृति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तृत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसृति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी० सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेन्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि, आपवादिक मामलीं में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस के नियमितीकरण के मामलें में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्त् पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष कार्य काल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तृत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि

		एफ0आर0—एस0आर0, छुट्टी नियम,					
		साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन					
		नियम तथा आचरण नियम आदि के					
		उपबन्ध, संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को					
		लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त					
		व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा					
		स्कीम के साथ–साथ ई.पी.एफ./					
		जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।					
16.	आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार					
10.	Off (Q1 - 1)	द्वारा समय—समय पर अनुसूचित					
		जातियों / अनुसूचित जन—जातियों / अन्य पिछड़े					
		वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में					
		आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के					
		अध्यधीन होगी।					
47	South after.						
17.	विभागीय परीक्षाः	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर					
		यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में					
		यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी।					
18.	शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि					
		ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह,					
		कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और					
		हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,					
		आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध					
		(उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के					
		प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर					
		सकेगी।					
	उपाब न ्ध —"ख"						
(पर्यावरण		: के मध्य अतिरिक्त मुख्य/प्रधान सचिव/सचिव चल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने					
		- / - A oA					
ا بنائت	यह करार आ/ आमता स्व क्रियन व्यक्ति (चिसे संवित्र पर क्रियन व्यक्ति	पुत्र / पुत्री श्री					
सावदा '	वर नियुक्त व्यक्ति (जिस सावदा पर नियुक्त व्यक्ति	ति (जिसे इस में इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा रेक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (पर्यावरण					
ापशान,	प्राधानिका एवं जलवायु परिवर्तन) हिमायल	प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय					
पदाकार	पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।						
	"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पर्यावरण अधिकारी						
के रूप	में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन औ	र शर्ती पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—					
	1. यह कि प्रथम पक्षकार पर्यावरण अधिकारी के	क्तप में से प्रारम्भ होने और					
को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए "द्वितीय पक्षका							
	सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार						
		पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्					
	दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक						

नही होगाः

परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम संविदा के आधार पर नियुक्त पर्यावरण अधिकारी को ₹29,200 / —की समेकित संविदात्मक रकम प्रतिमाह [जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित नियम, 2022 के अनुसार) तत्स्थानी संवर्ग के पे—मैट्रिक्स के लागू लेवल (स्तर) के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगा] संदत्त किया जाएगा।
- 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त मिहला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त मिहला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सिहत गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनिधक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल० टी० सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा और विशेष अवकाश एक कैलेन्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कैलेन्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपिश्थित से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जायेगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपिश्थित के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहीं उसके नियमितीकरण के मामलें में विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपिश्थित की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर जहां कहीं प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा—शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थिगत रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का

प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0—एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध, संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ—साथ ई.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ—साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :	
1	प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर
 (नाम व पूरा पता) 2	द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)	

[Authoritative English Text of this Department Notification No. STE-B (3)-1/2022, dated 12-04-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ENVIRONMENT SCIENCE, TECHNOLOGY & CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th April, 2024

No. STE-B (3)-1/2022.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Environment Officer, 'Group-A' in the Department of Environment Science Technology & Climate Change, Himachal Pradesh, as per Annexure- "A" attached to this notification, namely:—

	• •	, ,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.	Short title and commencement.	(1)	These rules may be called the Himachal
			Pradesh, Department of Environment
			Science, Technology & Climate Change,
			Environment Officer, 'Group-A' (Gazetted)
			Recruitment and Promotion Rules, 2024.
		(2)	These rules shall come into force from the
			date of publication in the Rajpatra
			(e-Gazette), Himachal Pradesh.
			By order,
			Sd/-
			(PRABODH SAXENA, IAS,)
			Chief Secretary.

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ENVIRONMENT OFFICER (GROUP-A), IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT SCIENCE, TECHNOLOGY & CLIMATE CHANGE, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the Post	Environment Officer		
2.	Number of Post(s)	15 (Fifteen)		
3.	Classification	Group-A		
4.	Scale of Pay	(i) Pay Scale for regular incumbent(s):		
		Level -16 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per HP Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.		
		(ii) Emoluments for contract employee(s):		
		60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per HP Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.		
5.	Whether "Selection" or "Non-Selection" post:	Selection		
6.	Age of Direct recruitment:	Between 18 to 45 years:		
		limit for direct recruits will not be applicable to the Government including those who have been appointed		

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s):

(a) Essential Qualification(s):

- (i) M.Sc. in Environmental Science/ Chemistry/Botany or M.Tech. in Environment/ Civil Engineering from a recognized University or from an Institute duly recognized by the Central/ Himachal Pradesh Government.
- (ii)At least 05 years (Post M.Sc./M.Tech.) work experience in Environment related programmes formulation and Implementation or preparation of feasibility reports of Environment management projects, analysis and monitoring and conducting survey studies of Environment related projects/ programme Research Development in Environmental climate change sector or working on protection and conservation of Natural resources, Bio resources from Government/Semi Government Institutions/ Organizations or an Institution duly recognized by the State/Central Government.

(b) Desirable Qualification(s):

Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8.	Whether age and educational qualification(s) prescribed for	Age : Not applicable
	direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):	Educational Qualification: Not applicable
	1	
9.	Period of probation, if any	1. Direct recruitment:
		 (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. (b) No probation in case of appointment on contract basis.
10.	Method(s) of recruitment,	100% by direct recruitment on a regular basis or by
	whether by direct recruitment	recruitment on contract basis, as the case may be, failing
	or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of	which on secondment basis.
	post(s) to be filled in by	
11	various methods:	On any discrete from a second discrete from
11.	In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer, grade for which promotion/ secondment/ transfer is to be made:	On secondment basis, from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale and qualifications [as prescribed against Col. No. 7(a) above] from any other Himachal Pradesh Government Departments/ Boards/ Corporations.
12.	If a Departmental Promotion/	(a) Departmental promotion Committee:
	Confirmation Committee exists, what is its	
	composition?	Not Applicable.
		(b) Departmental Confirmation Committee:
		As may be constituted by the Government from
		time to time.
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission(HPPSC) is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law
14.	Essential requirement for a direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to the post by direct recruitment:	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruitment authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test

		(objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard syllabus etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.
15- A.	Selection for appointment to the post by contract appointment	Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
		(I) CONCEPT:
		(a) Under this policy the Environment Officer in the Department of Environment Science, Technology & Climate Change, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:
		Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
		(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:
		The Administrative Secretary (Environment, Science, Technology & CC) to the Govt. of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency <i>i.e.</i> Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.
		(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
		(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:
		The Environment Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @₹ 29,200/- PM [which shall be 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay matrix of the corresponding cadre].
		(III) APPOINTING/DISCIPLIANRY AUTHORITY:
		The Administrative Secretary (Environment Science, Technology & Climate Change) to the Govt. of H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission /other requirement authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard syllabus etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The Environment Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹29,200/- PM [which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of the pay matrix of the corresponding cadre].
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the Contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/ she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract

appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, medical Leave and special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the Controlling Authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Govt. servant and by Government Medical Officer in case of Non–Gazetted Government Servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 12 week's standing or more shall be declared

		temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for Medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
		(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
		(h) Provisions of service rules like FR and SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to Contract appointee(s).
16.	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination :	Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18.	Power to relax:	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

Annexure -"B"

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE ENVIRONMENT OFFICER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH THE ADDITIONAL CHIEF SECRETARY/ PRINCIPAL SECRETARY/ SECRETARY (ENVIRONMENT SCIENCE, TECHNOLOGY & CLIMATE CHANGE) TO THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

Thi	s agreement	t is 1	nade on	this	day	of	in	the	year
	betwo	een Sł	ı./Smt		s/o/d/o		r/o		
		. contr	act appoir	ntee. (herein	after call	ed the FIRST	PARTY)	AND	The
						Secretary/ Pr	,		

(Environment, Science Technology & Climate Change) to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "SECOND PARTY").

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Environment Officer on contract basis on the following terms and conditions:—

Provided that for further extension/ renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

- 2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.29200/per month (which shall be 60 % of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).
- 3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the Contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, He/ She may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- 4. The Contractual Environment Officer will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- 6. An officer appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Govt. servant and by Govt. Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Govt. servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 12 week's standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for Medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the Authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her
- 8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part officials at the minimum of pay scale.
- 9. The Employees group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1	Signature of the FIRST PARTY
(Name and full address)	
2	Signature of the SECOND PARTY
(Name and full address)	
_	

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील सुलह, जिला कांगडा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 13–05–2024

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोरख राम पुत्र वैसाखी, निवासी महाल मोहरला, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

- सत्या देवी विधवा जगदीश प्रसाद, 2. सुशील कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, 3. सुनीता देवी पुत्री जगदीश प्रसाद, 4. सुमना देवी पुत्री जगदीश प्रसाद, निवासी महाल मोहरला, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)
- विषय.——हि0प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं0 76, खतौनी नं0 183, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 00—17—45 है0 स्थित महाल मोहरला, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

मुस्त्री मुनादी / राजपत्र इश्तहार

प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गोरख राम पुत्र वैसाखी, निवासी महाल मोहरला, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना—पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थी ने सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस राजपत्र इश्तहार / मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 13–05–2024 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें, अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 10-04-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 13–05–2024

हस्त राम पुत्र सन्त राम पुत्र गोविन्द, निवासी गांव व डा० भटटू शमूला, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी हस्त राम पुत्र सन्त राम पुत्र गोविन्द, निवासी गांव व डा० भटटू शमूला, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र, स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए कि प्रार्थी का सही नाम हस्त राम पुत्र सन्त राम है परन्तु महाल शमूला के राजस्व अभिलेख में सहवन दितू पुत्र सन्ता दर्ज कांगजात माल है जोकि

गलत है। अतः महाल शमूला के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त दितू उपनाम इस्त राम पुत्र सन्त राम दर्ज कागजात माल किया जाये।

अतः राजपत्र हि0प्र0 / मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 13—05—2024 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-04-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 17-05-2024

रामेश्वर चन्द सपेहिया पुत्र कल्याण सिंह, निवासी गांव चेली, डा० मलां, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—-नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी रामेश्वर चन्द सपेहिया पुत्र कल्याण सिंह, निवासी गांव चेली, डा० मलां, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश किया कि प्रार्थी का असल नाम रामेश्वर चन्द सपेहिया पुत्र कल्याण सिंह है जबिक महाल चेली व ब्राहकड के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम रमेश चन्द पुत्र कल्याण सिंह दर्ज कांगजात माल है जोिक गलत है। अतः महाल चेली व ब्राहकड के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम रमेश चन्द उपनाम रामेश्वर चन्द सपेहिया पुत्र कल्याण सिंह सही नाम दर्ज कांगजात माल किया जाये।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हि0प्र0 / मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 17–05–2024 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी: 05-06-2024

कविन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह, निवासी गांव व डा० पनापर खास, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी कविन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह, निवासी गांव व डा० पनापर खास, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र, स्कूल प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए कि प्रार्थी का सही नाम कविन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह है परन्तु महाल चौकी के राजस्व अभिलेख में सहवन शिशु पुत्र चैन सिंह दर्ज कागजात माल है जोिक गलत है। अतः महाल चौकी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त शिशू उपनाम कविन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह सही नाम दर्ज कागजात माल किया जाये।

अतः राजपत्र, हि0प्र0 / मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05—06—2024 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 15-05-2024

मोहिन्द्र कुमार उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी गांव व डा० डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण—पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र। उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिल्फया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी दादी (Great grand Mother) श्रीमती कलावती पत्नी श्री नार सिंह दयाल, निवासी गांव व डा० डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) का देहान्त दिनांक 15—05—1978 को गांव डोहब में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डोहब के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत डोहब के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15—05—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी: 15-05-2024

भाग सिंह उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री घेपलिया, निवासी गांव व डा० रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण–पत्र लेने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिल्फया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती किरपी देवी पत्नी श्री घेपलिया राम, निवासी गांव व डा0 रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का देहान्त दिनांक 20—07—2012 को हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 15—05—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

- 1. Pema Lhamo d/o Topgyal, r/o Hanumani Bagh Kullu, Tibetan Colony, Kullu, District Kullu (H.P.).
- 2. Lobsang Tsethar s/o Tsering Wanhyal, r/o Mentsee-Khang Gangchen Kyishong CTA, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Pema Lhamo and Lobsang Tsethar have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-05-2023 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 12-05-2024. The objection received after 12-05-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-04-2024 under my hand and seal of the court.

Sd/-

Seal.

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 13 / 2024 आगामी पेशी : 15-05-2024

श्री टिकम राम पुत्र श्री यान सिंह, निवासी गांव तांदी, डाकघर धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री टिकम राम पुत्र श्री यान सिंह, निवासी गांव तांदी, डाकघर धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हिo प्रo) ने एक प्रार्थना—पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसके पत्र की जन्म तिथि 05—06—2018 है जो कि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धाउगी के परिवार रिजस्टर भाग—1 के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ दो गवाह के शपथ—पत्र, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, ग्राम पंचायत धाउगी से अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र, परिवार नकल संलग्न किए हैं। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सौरव की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में 05—06—2018 दर्ज करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 15—05—2024 को असालतन व वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अविध के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थी के पुत्र सौरव की जन्म तिथि 05—06—2018 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

मिसल नं0 : 15/2024 आगामी पेशी : 15-04-2024

श्री माघु राम पुत्र श्री ठाकर दत्त, निवासी गांव जंगला, डा० बजाहरा, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—– राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

प्रार्थी श्री माघु राम पुत्र श्री ठाकर दत्त, निवासी गांव जंगला, डा० बजाहरा, तहसील **सैंज** जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने दिनांक 30—03—2024 को इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल शैंशर व मोहाल गाड़ापारली में लीलाधर दर्ज हुआ है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि रिकॉर्ड परिवार नकल ग्राम पंचायत शैंशर व आधार कार्ड में माघु राम दर्ज है। जोकि सही दर्ज है, प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड मोहाल शैंशर व मोहाल गाड़ापारली, तहसील सैंज, जिला कुल्लू के राजस्व अभिलेख में लीलाधर के बजाए लीलाधर उर्फ माघु राम दर्ज करने हेतु आदेश पारित किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त न नाम दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 15-05-2024 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है व इस सूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 14/2024 आगामी पेशी : 15-05-2024

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री किशन चन्द, निवासी गांव पचैडी, डाकघर बजाहरा, तहसील सैंज, हाल पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव बरमाड़ी, डा० कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि० प्र०)। प्रार्थिया। बनाम

आम जनता

विषय.--पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री किशन चन्द, निवासी गांव पचेडी, डाकघर बजाहरा, तहसील सैंज, हाल पत्नी श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव बरमाड़ी, डा० कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि० प्र०) ने एक प्रार्थना—पत्र इस अदालत में पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 01—01—1980 है जोिक अज्ञानतावश ग्राम पंचायत देहुरीधार के परिवार रजिस्टर भाग—1 के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया ने आवेदन पत्र के साथ दो गवाह के शपथ—पत्र, ग्राम पंचायत देहुरीधार से अनुपलब्धता प्रमाण—पत्र, परिवार नकल संलग्न किए हैं तथा इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत देहुरीधार, तहसील सैन्ज के रिकॉर्ड में 01—01—1980 दर्ज करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 15—05—2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अविध के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत देहुरीधार, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 01—01—1980 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

In the Court of Sh.Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

- 1. Ryan Eric David Lewis s/o Gordon David Lewis, r/o Raheja Exotica, B-202, Barcelona Madh Island Pascalwadi Road, Malad West 2, Mumbai Maharashtra at present residing at Village Bhosh, P.O. Haripur, Tehsil & District Kullu (H.P.).
- 2. Sasha Altaf Mohamedi d/o Altaf Mohamedi, r/o 501, Green Acres Pali Hill, Near Air India Bidg. Bandra West Mumbai Maharashtra presently residing at Village Bhosh, P.O. Haripur, Tehsil & District Kullu (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Ryan Eric David Lewis and Sasha Altaf Mohamedi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-08-2018 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 16-05-2024. The objection received after 16-05-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-04-2024 under my hand and seal of the court.

Sd/-

Seal.

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

- 1. Vanshika Sood d/o Sh. Dinesh Sood, r/o Ward No. 3, 1. Roshan Lal Gupta and Sons, Main Bazar Bhunter, P.O. & Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.).
- 2. Divanshu Sood s/o Sh. Ashwani Kumar Sood, r/o FZ 146/9, Kishan Garh, Vasant Kunj, West Delhi-110 070.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Vanshika Sood and Kivanshu Sood have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-04-2024 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-05-2024. The objection received after 20-05-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-04-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

In the Court of Sh. Vikas Shukla, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

- 1. Hoshiar Singh s/o Sh. Ram Singh, r/o H. No. 51, P.O. Mohal Near Hotal Apple Valley Mohal, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.).
- 2. Kushla Devi d/o Sh. Lal Singh, r/o Village Damali, P.O. Rishikesh, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) . .*Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Hoshiar Singh and Kushla Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-02-1984 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-05-2024. The objection received after 25-05-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 26-04-2024 under my hand and seal of the court.

Sd/-

Seal.

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.).

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या :

तारीख मरजुआ :

तारीख पेशी: 15-05-2024

1. श्रीमती शारदा पुत्री किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती सरला पुत्री किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती स्वर्णा पुत्री किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्रीमती सुनीता पुत्री किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्रीमती सुरक्षा पुत्री किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्री कर्ण किशोर पुत्र किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र बराये इन्तकाल तस्दीक करने हेतु भूमि मन्दरजा खाता / खतौनी नं0 14 / 25, मोहाल / मौजा जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)। प्रार्थना—पत्र श्रीमती शारदा पुत्री किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), श्रीमती सरला पुत्री किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), श्रीमती स्वर्णा पुत्री किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), श्रीमती सुनीता पुत्री किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), श्रीमती सुरक्षा पुत्री किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), श्री वरेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह, निवासी जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु खाता/खतीनी नं0 14/25, मोहाल/मौजा जंगल टुटी कंडी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। यह कि श्रीमती सरस्वती देवी की मृत्यु दिनांक 05—06—2019 को हो चुकी है। सायला ने पंजीकृत वसीयत नं0 155/2012, मिति 12—11—2012 की बनी हुई है जिसमें सायला की मृत्यु के पश्चात् इन्तकाल नं0 86 दर्ज हो रखा है।

अतः इश्तहार द्वारा उक्त सभी पक्षों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त इन्तकाल नं0 86 बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 15—05—2024 को प्रातः 10.00 बजे तहसील कार्यालय में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०)।

CHANGE OF NAME

I, Shivanshi Bhandari d/o Sh. Balak Ram, r/o Village Kanger Banona, P.O. Wasni, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.). I have changed my name from Shivanshi Bhandari to Sanjana Bhandari. In future, I will be known as Sanjana Bhandari. Please all concerned note.

SHIVANSHI BHANDARI d/o Sh. Balak Ram, r/o Village Kanger Banona, P.O. Wasni, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Lal Chand s/o Shyama Ram, r/o Village Bhai, P.O. Daulatpur, Tehsil & District Kangra (H.P.) have changed my name from Lal Chand Bhatia to LAL CHAND. Concerned note.

LAL CHAND s/o Shyama Ram, r/o Village Bhai, P.O. Daulatpur, Tehsil & District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhumka Devi (New Name) w/o Sh. Shyama Nand, r/o Village Majhrana, P.O. Bharana, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Bhumeshwari Devi (Previous Name) to BHUMKA DEVI (New Name). All concerned please may note.

BHUMKA DEVI w/o Sh. Shyama Nand, r/o Village Majhrana, P.O. Bharana, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Devender Lamba s/o Sh. Pishori Lal, r/o Village Gugga Bhater, P.O. Barmana, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.)-174013 declare that I have changed my name from devender Lamba (Wrong Name) to Devender Kumar (New Name). Please may note all concern.

DEVENDER LAMBA s/o Sh. Pishori Lal, r/o Village Gugga Bhater, P.O. Barmana, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.)-174013. 1180